

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

:-आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वेद प्रकाश	एक्स-रे टैक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजपुर, उधमसिंहनगर	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023 / 20294 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर/चम्पावत।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/चम्पावत।
- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय चम्पावत।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजपुर, उधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सतीश चन्द्र	एक्स-रे टैक्नीशियन	बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमपुरी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

/202796

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमपुरी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कमला आर्या	एक्स-रे टैक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमपुरी, नैनीताल	बी०डी० पाण्डे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

2023

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. प्रमुख अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमपुरी, नैनीताल।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(ज०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजनारायण त्रिपाठी	एक्स-रे टैक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, उधमसिंहनगर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/15/2023

20900

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता/सितारगंज, उधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विपिन सिंह कण्डारी	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थलीसैण, पौड़ी	उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

20764

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी को उपरोक्त की प्रति इस आशय से प्रेषित कि वर्तमान में स्थानीय व्यवस्था पर तैनात श्रीमती अनीता जौहरी, दृष्टिमितिज्ञ को उनके मूल तैनाती स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीसैण हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित किया जा सके।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र थलीसैण, पौड़ी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे0एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै0मे0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरेन्द्र कुमार	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ, चमोली	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

20766

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/पौड़ी।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ, चमोली।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०में०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महेन्द्र सिंह पछाई	दृष्टिमितिज्ञ	बी०डी० पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुयालबाडी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023 / 20768

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु०स्वा०केन्द्र सुयालबाडी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 01 जून, 2023

आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शैलेश कुमारी	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार	उप जिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग, चमोली	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023 20770

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग, चमोली।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार/थलीसैण, पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुदीप कुमार सकसैना	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया, अल्मोडा	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
4. चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर/चौखुटिया, अल्मोडा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 08 जून, 2023

--:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री तरुण कुमार	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन, हरिद्वार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थलीसैण, हरिद्वार	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

20774

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन, हरिद्वार/थलीसैण, पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

:-आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मदन मोहन कनौजिया	दृष्टिमितिज्ञ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप बी, नंदगांव, टिहरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

120776

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/उधमसिंहनगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/उधमसिंहनगर।
4. चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, उधमसिंहनगर।
5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप बी, नंदगांव, टिहरी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे0एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै0मे0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--आदेश--

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र राम	दृष्टिमितिज्ञ	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

2023

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--आदेश--

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शिव सिंह राणा	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ, चमोली	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023 / 20780

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक केन्द्र जोशीमठ, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक-09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजीव सिंह	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्ट, अल्मोडा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर स्थानीय व्यवस्था पर कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

20232

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/ हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/हरिद्वार।
4. चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्ट, अल्मोडा/भगवानपुर, हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मातबर सिंह	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड, टिहरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालसी, देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

20284

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र थत्यूड, टिहरी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र कालसी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

--:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापनगर, टिहरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड, टिहरी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023 / 20286

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड/प्रतापनगर, टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक-09 जून, 2023

--आदेश--

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विनोद सिंह	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थराली, चमोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोरी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

2023/88

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
4. चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र थराली, चमोली/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र मोरी, उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 06 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देवेश्वर प्रसाद सेमवाल	दृष्टिमितिज्ञ	उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग, चमोली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन, हरिद्वार	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

2023

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/रुडकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग, चमोली।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023

दिनांक- 06 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीपक कुमार	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुयालबाडी, नैनीताल	बी०डी० पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/13/2023/20792

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. प्रमुख अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सामु०स्वा०केन्द्र सुयालबाडी, नैनीताल।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

दिनांक-09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अरविन्द चमोली	फिजियोथेरेपिस्ट	जिला (कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

20802

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शिवांग शर्मा	फिजियोथेरेपिस्ट	उप जिला चिकित्सालय रूडकी, हरिद्वार	बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

120804

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/रूडकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय रूडकी, हरिद्वार/सिमली, चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

दिनांक- 09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-I/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अश्विनी कुमार लसियाल	फिजियोथेरेपिस्ट	उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

20806

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/टिहरी।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे0एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै0मे0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

दिनांक-09 जून, 2023

-:आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-I/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आशीष कुमार	फिजियोथेरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली	उप जिला चिकित्सालय रुडकी, हरिद्वार	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023 /20808

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय रुडकी, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

दिनांक-09 जून, 2023

--आदेश--

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आलोक त्यागी	फिजियोथेरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय हरिद्वार	जिला (कोरोनेशन) चिकित्सालय देहरादून	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023 70810

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय हरिद्वार/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

दिनांक-09 जून, 2023

:-आदेश:-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक- 10 मई, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रीतम सिंह जेठूड़ी	फिजियोथेरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/14/2023

2023/2

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)